राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302005 (राज.)
फोन नः 0141-2228066 , 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाईट : www.rmsc.health.rajasthan.gov.in
सीआईएन. :U24232RJ2011SGC035067 ई–मेल :: rmsc@nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025–26/1846 दिनांक : 16/11/2025

आदेश

फर्म मैसर्स Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025 से निविदा क्रमांक F.02(345)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-02/2022/62 दिनांक 07.01.2022 के तहत् औषधि Itraconazole Cap 100 mg[118] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि आपूर्ति करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1654 दिनांक 14.06.2022 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में आपूर्ति की गयी औषधि के बैच संख्या 1722-285 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने को उनके द्वारा जॉच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को प्रेषित किया गया।
राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला से औषधि के उक्त बैच को गुणवत्ता (Dissolution) में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया जो कि Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में है।

फर्म द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर बैच संख्या 1722-285 को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा लिये गये नमूने को उनके द्वारा जॉच हेतु केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता को प्रेषित किया गया। केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता से औषधि के उक्त बैच को गुणवत्ता (Dissolution) में निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होने के कारण अमानक कोटि का घोषित किया गया जो कि Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में है।

केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता से उक्त बैच को Dissolution में अमानक कोटि की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 में रखा गया। फर्म को दिनांक 17.10.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिये अवसर दिया गया, परन्तु समिति के समक्ष फर्म का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ।

राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उक्त औषधि के उक्त बैच को Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में अमानक कोटि का घोषित किया गया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation : Managing Director
Date: 2025.11.07 19:13:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18707319
eSign 1.0

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम की विवर्जन संबंधी गाइडलाइन के क्लॉज 4.6(1) के तहत Not of Standard Quality (Grossly Substandard) की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के अनुसार निविदादाता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि के सैम्पल गुणवत्ता मानकों अनुसार नहीं पाये जाने पर विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध मे जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के अनुसार कार्यवाई किये जाने का प्रावधान है। विवर्जन संबंधी दिशा–निर्देशों का क्लॉज संख्या 4.6(1) निम्नानुसार है:–

4.6(1) (**Grossly substandard**) If any batch of a particular item supplied under a tender tenure by the supplier is declared as Not of Standard Quality by an empanelled lab or Govt. Lab which falls in grossly substandard category and such failure is further confirmed by another empanelled l**ab / Govt. Lab, then the product shall be liable for debarring for a period of not Less than one (1) years.)**

अतः निविदा की शर्त संख्या 16(2) Quality Testing /19(3) Quality Control Deduction and Other Penalties के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबंधी दिशा निर्देशों (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 28.10.2025 की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म मैसर्स Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025 की औषधि Itraconazole Cap 100 mg[118] के लिये यह आदेश जारी करने की तिथि से **18 माह** के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है।

इस आदेश का पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा प्रतिस्थापित (Replacement) प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई गई हो, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

(पुखराज सैन)
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2025–26/1846 दिनांक : 10/11/2025
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियत्रंण, निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
6. निजी सहायक, निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.: 18707319
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Managing Director
Date: 2025.11.07 1?:13:21 IST
Reason: Approved

7. निजी सहायक, औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
8. निजी सहायक, औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश ।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं उप.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. M/s Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025
13. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref No.:
18707319
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by P[illegible]raj Sen
Designation: Man[illegible]g Director
Date: 2025.1[illegible]7[illegible]:13:21 IST
Reason: Appro[illegible]